Signed using www.Signer.Digital WebLib

Varanasi Development Authority

Uttar Pradesh

TERMS AND CONDITIONS FOR MAP REVALIDATION PERMISSION

Permit No. : Group Housing/03157/VDA/BP/23-24/1312/17022024

To,

Name of owner/Applicant **GHURE LAL, SAKALNARAYAN & BABUA PRASAD**
Communication Address **C 32/27 B-2 Chandua Chhittupur, Sigra, Varanasi,VARANASI,Uttar Pradesh,221002**
Property No. **MI. 8 & MI. 12** Scheme name **NA**. District : **Varanasi**
Site Address : **Arazi No.- MI. 8 & MI. 12, Mauza- Lalpur Anuala, Paragana- Shivpur, Tehsil & Distt.- Varanasi.**
Reference : Previously Sanctioned map and letter no **106/17group housing/vinyas** Dated **25 Jan 2020**

Dear Sir/Madam,

- The validity of Construction permission of File no **VDA/BP/23-24/1312** is extended from **25-Jul-2025** to **24-Jul-2028**
- Kindly refer to the previous construction permission for total builtup area of **11334.79** Sqmt. **Residential** land use allowed on a plot area of **3144.74** sqmt.
- This permission includes construction of **12** floors only.

Owner shall also be responsible for compliance of the prescribed NGT conditions Click Here and special conditions Click Here for construction in above described Area. Concerned Executive Engineer/Site in - charge shall ensure that the construction is done on site as per approved Plan.

- Provision of parking space, rainwater harvesting and tree plantation as per the approved plan shall have to be ensured by the owner.
- This construction permission shall be invalid in-case of non-payment of due charges/fees towards the owner's property.
- Validity of Map extended to 24-Jul-2028.
- The other rules, conditions and restrictions stated in the earlier sanctioned map / letter shall be the same.
- Owner shall be responsible for the strict compliance and Adherence to the approved map and in case of any non-compliance, suitable action shall be taken by the authority as per prevailing rules and regulations.

SPECIAL CONDITIONS :
NA

Validity of Map extended to 24-Jul-2028.The other rules, conditions and restrictions stated in the earlier sanctioned map / letter shall be the same.

Signature Not Verified
Digitally signed by PULKIT GARG
Date: 22 Mar 2024 19:06:13
Designation :Vice Chairman

Validity of Map extended to 24-Jul-2028.The other rules, conditions and restrictions stated in the earlier sanctioned map / letter shall be the same.

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 82 /जो0 अ0 दिनांक 25-1-2020

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्री घूरे लाल पुत्र स्व० बल्ली एवं श्री बबुआ प्रसाद व कमल नारायण पुत्रगण स्व० विश्वनाथ पिता/पति का नाम श्री............ आराजी संख्या मि. 83 मि. 12 मौजा लालपुर अर्नोला वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

उपाध्यक्ष 106/17ZZ/6-0 विन्यास वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

दिनांक.............20

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनयम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।